केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं.30/टीएल/2024 दिनांक: 14.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

कोप्पल–नरेन्द्र ट्रांसमिशन लिमिटेड, 138, अंसल चौम्बर्स II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.10.2021 के कार्यालय आदेश (इसके बाद 'दिनांक 28.10.2021 का कार्यालय आदेश' के रूप में संदर्भित) के अनुरूप विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके बाद 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) के अधीन "1x500 एमवीए, 400/200 केवी आईसीटी (छठा) से कर्नाटक में 400/200 केवी कोप्पल पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन" के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79 (1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
400/220 केवी, 1X500 एमवीए आईसीटी (छठा) से कर्नाटक में 400/220 केवी कोप्पल पीएस पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	57.59	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम के जारी होने की तारीख से 18 मास

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 12.2.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 30/टीएल/2024 में दिनांक 14.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. कोप्पल–नरेन्द्र ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **http://www.renew.com/renew-india** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **5.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **10.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव